न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं. 144 / 2013

1. श्रीमति पार्वती देवी पत्नी स्व. ओमप्रकाश, जाति बैरवा, निवासी ग्राम कोशल्यादास की बावडी तन कुन्दनपुरा, तह. फागी, हाल निवासी ग्राम वाटिका, तह. सांगानेर, जिला जयपुर, राज.।

प्रार्थीया

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला जयपुर

1. महेन्द्र पुत्र गोरीशंकर (नाम हजफ)
2. गीता देवी पुत्री गौरीशंकर
3. तीजा देवी पत्नी गौरीशंकर

   जातियान बैरवा, निवासीयान ग्राम कोशल्यादास की बावडी, तह. फागी, जिला जयपुर, राज.।

4. राज. सरकार जरिये तहसीलदार फागी, तह. फागी, जिला जयपुर, राज.।
5. उपपंजीयक फागी, तह. फागी, जिला जयपुर, राज.।
6. उपपंजीयक माधोराजपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर, राज.।
7. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुहाना, तह. सांगानेर, जिला जयपुर, राज.।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

:: निर्णय ::

दिनांक :– 09.05.2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक शीर्षकीय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ़ आधारों पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थीया को सफलता की पूरी–पूरी आशा है। प्रार्थीया के हिस्से की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 207 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, 208 रकबा 2 बिस्वा, 209 रकबा 14 बिस्वा, 210 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, 211 रकबा 2 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुन्दनपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित है उपरोक्त वर्णित आराजी प्रार्थीया के पति स्व. ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर, जाति बैरवा के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/3 है, अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 2/3 हिस्सा है एवं खसरा नम्बर 213 रकबा 6 बिस्वा, 214 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुन्दनपुरा, तह. फागी में स्थित है जिसमें प्रार्थीया के पति स्व. ओमप्रकाश का 1/2 हिस्सा है उक्त भूमि प्रार्थीया के पति स्व. ओमप्रकाश के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसकी प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत स्व. ओमप्रकाश की मृत्यु के पश्चात् एक मात्र उत्तराधिकारी है। उक्त आराजी को आगे प्रार्थना–पत्र में विवादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है प्रार्थीया एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने–अपने हिस्से की आराजी पर बतौर कोटीनेन्ट काबिज काश्त है। प्रार्थीया के पति स्व. ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर की मृत्यु करीब 7–8 वर्ष पूर्व हो चुकी है तथा प्रार्थीया स्व. ओमप्रकाश की धर्मपत्नी है जिससे प्रार्थीया को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। उपरोक्त विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीया के पति की पैत्रिक आराजी है जो प्रार्थीया के पति से प्राप्त हुई है। उक्त विवादग्रस्त आराजी प्रार्थीया को विरासत में प्राप्त हुई है उक्त विवादग्रस्त आराजी में से हिस्सा प्राप्त करने की प्रार्थीया कानूनन अधिकारी है, प्रार्थीया उक्त आराजी में से कानूनन हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अपने हिस्से की आराजी की घोषणा करवाने की अधिकारी है। प्रार्थीया के पति स्व. ओमप्रकाश की मृत्यु के

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पश्चात् उक्त विवादित आराजी का फौती का नामान्तकरण प्रार्थीया के पक्ष में खोला जाना चाहिए था लेकिन अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को गुमराह रखा जिससे प्रार्थीया के पति की उक्त भूमि जो राजस्व रिकार्ड में उसके नाम है प्रार्थीया के नही लग सकी प्रार्थीया उक्त भूमि पर बतौर काश्तकार कोटिनेट के साथ अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा उक्त विवादित आराजी प्रार्थीया को प्राप्त करने का कानूनन हक एवं अधिकार निहित है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण आपस में मौके पर मुताबिक मनबट के आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा हिस्सानुसार लगान भी सयुक्त रूप से सरकार को अदा कर रहे है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से की आराजी पर खाम मेड–बंधी करवा रखी है परन्तु विवादग्रस्त आराजी का विधिवत बंटवारा नही हुआ है विवादग्रस्त आराजी पक्षकारान् की सह खातेदारी की आराजी है एवं वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम चली आ रही है जिसका बेचान कर नाजायज लाभ प्राप्त कर प्रार्थीया को उसकी विरासत में प्राप्त आराजी जो उसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त हुई है से बेदखल करने की फिराक में है जो कानूनन अवैध है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीया के हिस्से की खातेदारी भूमि में बिना प्रार्थीया की सहमति व बिना जानकारी के ही जबरन अवैध निर्माण भू–माफियाओं के द्वारा करवाने पर आमादा है प्रार्थीया के हिस्से की खातेदारी भूमि अप्रार्थी की भूमि सयुक्त होने का नाजायज फायदा उठाकर अपने हिस्से में आई भूमि से अधिक रकबे पर जबरन निर्माण कर प्रार्थीया को नाजायज हेरान–परेशान कर प्रार्थीया के हिस्से की खातेदारी की जमीन को खुर्द–बुर्द कर विवादित करना चाहते है तथा मुताबिक मनबट प्रार्थीया के हिस्से में आई कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा करना चाहते है अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने नापाक इरादों में सफल हो गये तो प्रार्थीया को असहनीय हानि होगी एवं अपने हक व अधिकारों से वंचित होना पडेगा, व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिये न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण उक्त विवादग्रस्त आराजी के हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है और मौके पर हिस्से

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

अनुसार आराजी पर काबिज काश्त है परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उक्त विवादग्रस्त आराजी उनके नाम होने का नाजायज फायदा उठाने की फिराक में है तथा प्रार्थीया को विरासत में प्राप्त हुई आराजी जो उसे उसके पति स्व. ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर से प्राप्त हुई है के हिस्से की भूमि को भू–माफियाओं को बेचकर नाजायज रूप से लाठी के बल पर कब्जा करवाने की फिराक में है प्रार्थीया से अन–बन होने के कारण प्रार्थीया के हिस्से की आराजी को उबड–खाबड बनाकर नाजायज परेशान करने की कोशिश कर रहे है। दिनांक 28.07.2013 को प्रार्थीया अपने हिस्से की आराजी को संभालने गयी तो अप्रार्थी संख्या 1 अजनबी व्यक्तियों को मौके पर लेकर आया और उक्त विवादित आराजी में से प्रार्थीया के हिस्से में आई आराजी का बेचान अन्य दीगर व्यक्तियों को करने की धमकी देने लगा तथा बेचकर ही दम लूंगा, अगर अप्रार्थी संख्या 1 अपने इरादों में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा, प्रार्थीया के हितो पर कुटाराघात होगा तथा व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढ़ेगी इसलिये प्रार्थीया के हिस्से की घोषणा करते हुये अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीया के पक्ष में प्रबल व सुदृढ़ है। सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने में है यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति हो जायेगी जिससे अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया की और से मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को ता–फैसला मूलवाद के निस्तारण तक पाबन्द फरमाया जावे की प्रार्थना–पत्र के मद नं. 2 में वर्णित विवादग्रस्त आराजी को रहन बेचान हस्तानान्तरण मुंतकिल नही करे और मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली

किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार करते हुये अभिकथन किया कि खसरा नम्बर 207, 208, 209, 210, 211 कुल किता 5 कुल रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 213 रकबा 6 बिस्वा, 214 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 9 बिस्वा भूमि वाके ग्राम कुन्दनपुरा, तह. फागी, जिला जयपुर में स्थित होना स्वीकार है, शेष कथन अस्वीकार है। ओमप्रकाश पुत्र गोरीशंकर की मृत्यु होना सही है, शेष कथन अस्वीकार है। ओमप्रकाश का देहान्त 24.04.2010 को हो गया ओमप्रकाश के देहान्त के पूर्व ही प्रार्थीया ने पुर्नविवाह (नाता) भगवान सहाय बैरवा पुत्र सीताराम बैरवा, निवासी देव श्री की ढ़ाणी, तह. चाकसू के साथ कर लिया था। पुर्नविवाह करने के पश्चात प्रार्थीया भगवान सहाय की धर्मपत्नी है जिसका भगवान सहाय की चल–अचल सम्पत्ति में कानूनन हक व अधिकार बनता है। स्व. ओमप्रकाश की सम्पत्ति में प्रार्थीया का हक व अधिकार कानूनन पुर्नविवाह करने से समाप्त हो चुका है। प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनन भगवान सहाय की पत्नी होने से ओमप्रकाश की सम्पत्ति में से हिस्सा पाने की अधिकारी नही है। उक्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनन हक व हिस्सा बनता है एवं अप्रार्थी संख्या 3 व 4 स्व. ओमप्रकाश व स्व. महेन्द्र की आराजी की विरासत के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारीगण है इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र चलने योग्य नही है। उक्त आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीया ने भगवान सहाय बैरवा, निवासी देव श्री की ढ़ाणी, तह. चाकसू के साथ पुर्नविवाह कर लिया है एवं भगवान सहाय बैरवा की धर्मपत्नी है। प्रार्थीया ग्राम देव श्री की ढ़ाणी, तह. चाकसू में ही अपने पति के साथ निवास कर रही है। उक्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पुत्र/भाई स्व. ओमप्रकाश व महेन्द्र कुमार की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड दर्ज है। ओमप्रकाश व महेन्द्र कुमार का स्वर्गवास हो चुका है जिनकी कानूनन एक मात्र उत्तराधिकारी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ही है। प्रार्थीया का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही रहा है, इसलिये

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया का उक्त आराजीयात से कोई कानूनन हक व हिस्सा नही बनता है, प्रार्थीया का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नही रहा है बल्कि पुर्नविवाह करने के पश्चात् प्रार्थीया उक्त आराजी को हडपने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करवाया है। मान्य न्यायालय के समक्ष वास्तविक तथ्यो को छुपाते हुये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो कानूनन खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार का स्वर्गवास दिनांक 14.03.2012 को ही हो गया था तो अप्रार्थी संख्या 1 उक्त आराजी को बेचान करने व नाम लगवाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीया अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पास कभी नही रही बल्कि भगवान सहाय पुत्र सीताराम बैरवा, निवासी देव श्री की ढाणी, तह. चाकसू के साथ पुर्नविवाह (नाता) कर घर बसा लिया अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार दावा दायरी से पूर्व ही फौत हो गया उक्त प्रार्थना–पत्र कानूनन मृतक व्यक्ति के विरूद्ध नही लाया जा सकता है इसलिये उक्त प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र अबैट किया जाकर खारिज किया जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी संख्या 1 दावा दायरी से पूर्व ही दिनांक 14.03.2012 को ही फौत हो गया तो दिनांक 28.07.2013 को मौके पर अजनबी व्यक्तियों का साथ लाने का प्रश्न ही पैदा नही होता है प्रार्थीया कभी अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पास नही रही एवं ओमप्रकाश की धर्मपत्नि नही होकर वर्तमान में भगवान सहाय की पत्नी है। दिनांक 28.07.2013 का वाद कारण प्रार्थीया ने मनगढ़ंत कपोल कल्पित झूंठा अंकित किया है कोई वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है प्रार्थना पत्र कारण के अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 का देहान्त दावा दायरी से पूर्व ही हो चुका है तो दिनांक 28.07.2013 को धमकी देने का प्रश्न ही पैदा नही होता है प्रार्थना–पत्र कारण के अभाव में प्रार्थीया का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया किसी प्राकर की दादरसी पाने की अधिकारी नही है। प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित नही होकर अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में बखूबी साबित है। प्रार्थीया ने ओमप्रकाश के

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

जीवनकाल में ही दूसरी शादी कर ली प्रार्थीया ने भगवान सहाय बैरवा पुत्र सीताराम बैरवा निवासी देव श्री की ढाणी तह. चाकसू जिला जयपुर के साथ पुर्नविवाह कर लिया है एवं प्रार्थीया ने ओमप्रकाश की सम्पत्ति में कोई हिस्सा नही चाहने बाबत् एक लिखावट दस रूपये के स्टाम्प पर लिखकर तहरीर व तकमील किया है एवं भगवान सहाय बैरवा के साथ शादी करना स्वीकार किया है उक्त लिखावट से प्रार्थीया कानूनन पाबन्द है। प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार के तहत कानूनन ओमप्रकाश की विधिक वारिस नही है इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बार्ड बाई लॉ होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया ओमप्रकाश की विधिक वारिसान नही है अप्रार्थी संख्या 2 व 3 से प्रार्थीया का कोई पारिवारिक संबंध नही है प्रार्थीया हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनन ओमप्रकाश की विधिक वारिस नही है। प्रार्थीया ने भगवान सहाय के साथ पुर्नविवाह कर लिया है इसलिये उक्त आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 का ही कानूनन हक व हिस्सा बनता है प्रार्थीया का उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार नही है इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर खर्चा विशेष अप्रार्थीगण को दिलवाया जावे।

प्रार्थीया के अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान बताया कि उक्त आराजी प्रार्थीया के पति स्व. ओमप्रकाश की आराजी है जिसमें प्रार्थीया का 1/3 हिस्सा है प्रार्थीया स्व. ओमप्रकाश के देहान्त के पश्चात एकमात्र हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कानूनी वारिस है प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण एक ही सयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है उक्त आराजी की प्रार्थीया अपने हक व हिस्से की घोषणा करवाने की अधिकारी है प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में बखूबी साबित है अगर अप्रार्थीगण उक्त आराजी को रहन बेचान कर देंगे तो प्रार्थीया को अपूर्णनीय क्षति कारित

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

होगी इसलिये अप्रार्थीगण को ता–फैसला मूल वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है।

अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि उक्त आराजी प्रार्थीया की पैतृक व संयुक्त परिवार की सम्पत्ति नही है प्रार्थीया ओमप्रकाश पुत्र गौरीशंकर के जीवन काल में ही भगवान सहाय पुत्र सीताराम बैरवा निवासी देव श्री की ढ़ाणी तह. चाकसू के साथ पुर्नविवाह कर लिया था ओमप्रकाश की प्रार्थीया विधिक पत्नी नही रही है इसलिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थीया का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र का दावा दायरी से पूर्व ही दिनांक 14.03.2012 को ही स्वर्गवास हो चुका था प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना–पत्र कानूनन अबैट हो चुका है प्रार्थीया ने 100/–रू के स्टाम्प पर लिखावट लिखकर अपनी शादी भगवान सहाय पुत्र सीताराम बैरवा के साथ होना स्वीकार किया है एवं ओमप्रकाश की चल–अचल सम्पत्ति में अपना हिस्सा नही माना है प्रार्थीया का निर्वाचन नामावली 2013 विधानसभा चाकसू में भी पार्वती देवी पत्नी भगवान सहाय, निवासी देव श्री की ढ़ाणी, ग्राम कोटखावदा, तह. चाकसू, जिला जयपुर अंकित है उक्त आराजी से प्रार्थीया का कानूनन कोई हक व अधिकार नही बनता है इसलिये प्रथम दृष्टिया केस व सुविधा का संतुलन अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष मे प्रबल है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रस्तुत तर्कों व पत्रावली का अवलोकन किया अवलोकन करने पर पाया कि उक्त आराजी के अप्रार्थी संख्या 1 महेन्द्र कुमार व ओमप्रकाश के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है महेन्द्र कुमार का दावा दायरी से पूर्व ही निधन हो चुका है उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थीया ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पेश किया है प्रार्थीया ने स्टाम्प पर ओमप्रकाश के अलावा भगवान सहाय बैरवा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

के साथ पुर्नविवाह करना स्वीकार किया है उक्त आराजी में से प्रार्थीया ने कोई हक व हिस्सा नही माना है प्रार्थीया ओमप्रकाश की विधिक पत्नी नही रही है न ही ओमप्रकाश के कोई जायन्दा वारिसान है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में नही होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में बखुबी साबित होना पाया जाता है जिससे प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ हम फिता हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2017 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)